UPGK010062362026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-2807/2026

1. सुबाष सिंह उम्र लगभग 67 वर्ष
2. अनिरूद्ध सिंह उम्र लगभग 75 वर्ष } पुत्रगण स्व0 विक्रम सिंह
3. बाबूराम सिंह उम्र लगभग 65 वर्ष

निवासीगण ग्राम बरवा खुर्द, पोस्ट हाटा, जनपद कुशीनगर।

.....**आवेदकगण/अभियुक्तगण**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... **विपक्षी**

मु०अ०सं०-180/2026
अंतर्गत धारा-420, 323, 506 भा0दं0सं0
थाना-शाहपुर, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक 22.08.2026

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण **सुबाष सिंह, अनिरूद्ध सिंह व बाबूराम सिंह** की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ उनके द्वारा स्वयं के शपथ पत्र इस आशय के प्रस्तुत किये गये हैं कि आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

2. अभियोजन कथानक सक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अरुण कुमार अग्रवाल पुत्र स्वकिशोरी लाल अग्रवाल द्वारा एक शिकायती प्रार्थना-पत्र दिनांक 14.01.2026 को इस बावत दिया गया था कि उसको कृषि उददेश्य के लिए एक जमीन की आवश्यकता थी तो सुभाष सिंह, बाबूराम सिंह व अनिरुद्ध सिंह पुत्रगण विक्रम सिंह निवासीगण ग्राम बरवा खुर्द, पोस्ट-हाटा, जिला-कुशीनगर से एक प्रापर्टी डीलर के माध्यम से सम्पर्क हुआ था जो जमीन के खरीद-फरोख्त का कारोबार करता है और वही उपरोक्त तीनों से मिलवाया था। उक्त सुभाष सिंह, बाबूराम सिंह व अनिरुद्ध सिंह खसरा सं0-179, 189 व 322 स्थित मौजा-कोटवा, परगना-हवेली, तहसील सदर, जिला-गोरखपुर, बतौर मालिक व काश्तकार हैं। उन पर विश्वास करके उनकी 270 डिसमिल जमीन के एवज में 90,00,000/- तय हुआ था, जिसमें से एडवांस के तौर पर वादी दिनांक 11.08.2021 को अपने फर्म के नाम से पंजाब नेशनल बैंक शाखा पादरी बाजार गोरखपुर का चेक नं0- 166743 के जरिये पाँच लाख रूपये सुबाष सिंह को, चेक नं0 728642 दिनांक 12.08.2021 को पाँच लाख रूपया बाबूराम सिंह, दिनांक 12.08.2021 को ही चेक नं0-728643 से अनिरुद्ध सिंह को पाँच लाख रूपये का भारतीय स्टेट बैंक शाखा असुरन व चौक, गोरखपुर का दिया, तो उपरोक्त एडवांस की धनराशि कम होना बताकर उपरोक्त तीनो लोगों ने वादी से कहा कि आप दस-दस लाख रूपये तीनों लोगों को और दे दीजिए तो हम लोग चलकर अपनी जमीन आपके पक्ष में रजिस्ट्री बैनामा कर देंगे और यह भी कहे कि रजिस्ट्री के दिन बकाया पैसा भुगतान कर दीजिएगा। ऐसे में वादी उन पर विश्वास जताते हुए दिनांक 29.12.2021 को चेक सं0-728656 के जरिये अनिरुद्ध सिंह को दस लाख रूपया, दिनांक 29.12.2021 को चेक सं0-728657 के जरिये बाबूराम सिंह को दस लाख रूपया, दिनांक 22.12.2021 को पंजाब नेशनल बैंक शाखा- पादरी बाजार गोरखपुर का चेक सं0-166748 मु0 दस

लाख रूपये व दिनांक 18.04.2022 को स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा असुरन चौक गोरखपुर का चेक सं0-728718 मु0- पाँच लाख रूपये अग्रिम धनराशि सुबाष सिंह को उक्त जमीन के एवज में दिया। लेकिन जब वादी ने उपरोक्त तीनों काश्तकार से जब जमीन अपने पक्ष में रजिस्ट्री करने को कहा तो वे अपनी कुछ परेशानियों का हवाला देते हुए टाल-मटोल करते रहे। इस प्रकार आज-कल, आज-कल करते-करते लगभग 3 साल का समय बीत गया, परन्तु उक्त तीनों काश्तकार वादी के पक्ष में रजिस्ट्री बैनामा नहीं किये। तब उसने प्रापर्टी डीलर के साथ उक्त लोगों से अपने पादरी बाजार वाले आफिस पर मिलने के लिए बुलाया तो वे लोग आफिस पर मिलने से मना कर दिये और पादरी बाजार चौराहे के पास एक चाय की दुकान पर प्रापर्टी डीलर के साथ वादी से मिले और जब वह उक्त जमीन को बैनामा करने को उनसे कहा तो वे उक्त जमीन का बैनामा करने से साफ तौर पर इन्कार कर दिये। तब वादी ने कहा कि अगर आप लोगों को हमें जमीन नहीं देना है तो हमारा उपरोक्त लिया गया एडवान्स रूपया ही वापस कर दीजिए। जिस पर वे लोग कहने लगे कि कैसा पैसा, यदि पैसा वापस करना होता तो लेते ही क्यों और उक्त तीनों लोग कहें कि यदि पुनः दोबारा पैसा मांगने आये तो उसका अंजाम काफी बुरा होगा और जान से मार कर फेंकवा देंगे और उक्त बाबूराम सिंह वादी का कालर पकड़कर ढकेल दिये साथ गये प्रापर्टी डीलर के बीच-बचाव करने पर वह वापस चले आये। वादी के साथ उक्त लोगों ने घोखाधड़ी व विश्वासघात किया है।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण एक सामान्य परिवार से ताल्लुकात रखने वाले हैं तथा मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। प्रार्थीगण शांतप्रिय व कानून का अनुपालक व्यक्ति हैं। प्रार्थीगण के विरूद्ध फर्जी व मनगढन्त कहानी के आधार पर सिविल प्रकृति के मामले को आपराधिक रंग देकर स्थानीय थाने की पुलिस को अपने प्रभाव में लेकर उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा कर ब्लैकमेल किया जा रहा है। उपरोक्त मुकदमा काफी विलम्ब से राय-परामर्श कर साशय दर्ज कराया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त मुकदमे में वर्णित कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण प्रस्तुत मुकदमे की विवेचना में पूर्णतः सहयोग करने के लिए तैयार है, बावजूद इसके स्थानीय थाने की पुलिस, प्रार्थी को नावजह हैरान व परेशान कर रही है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को यदि अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है तो वे जमानत का दुरूपयोग करेंगे। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6- प्रपत्रों व केसडायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण पर धोखाधड़ी पूर्वक जमीन विक्रय करने के नाम पर वादी से करीब 50,00,000/- रूपया हड़पने, उक्त रूपया वापस मांगने पर उसके साथ मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अभियुक्तगण पर अधिरोपित सभी अपराध सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है। दौरान विवेचना अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में सहयोग किया जाना कहा गया है। अभियुक्तगण को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है। विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति केन्द्रीय ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773** में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में अभिकथित अभियुक्त जमानत का पात्र है। अतः सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए

मामले के गुण-दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये हुए तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण सुबाष सिंह, अनिरूद्ध सिंह एवं बाबूराम सिंह द्वारा द्वारा मु०अ०सं०- 180/2026, अंतर्गत धारा-420, 323, 506 भा0दं0सं0, थाना-शाहपुर, जनपद-गोरखपुर के प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को उनके संबंधित न्यायालय में उपस्थित होने की स्थिति में प्रत्येक द्वारा मु0 70,000/- का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय के समक्ष दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक- 22.08.2026

(चन्द्रभान सिंह)
JO Code - UP6180
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।